

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 2021

का.आ. (अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2021-सीमाशुल्क (गै. टै.) दिनांक 18 फरवरी 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 750 (अ), दिनांक 18 फरवरी 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, में, पेज नंबर 1 पर, सारणी के कॉलम (3) और कॉलम (4) में, "आयुक्त, सीमाशुल्क NS-V, कस्टम हाउस, न्हावा शेवा, ताल-उरान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र" को "आयुक्त, सीमाशुल्क NS-I, कस्टम हाउस, न्हावा शेवा, ताल- उरान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र" पढ़ा जाए।

[फा° स° 437/1/2021- सीमाशुल्क IV]



(मनीष कुमार चौधरी)
अवर सचिव, भारत सरकार